पत्रांक /आयु0कर0उत्तरा0/वाणि0क0/विधि–अनु0/14–15/दे0दून।

कार्यालय आयुक्त कर, उत्तराखण्ड
(विधि–अनुभाग)
देहरादनूः दिनाक : 18 फरवरी, 2015

समस्त असिस्टेन्ट कमिश्नर, वाणिज्य कर,
समस्त वाणिज्य कर अधिकारी, उत्तराखण्ड।

वाणिज्य कर विभाग में पंजीकृत व्यापारी तथा ऐसे व्यापारी जिनके द्वारा नियमित रूप से रिटर्न दाखिल किये जा रहे हैं, की संख्या के अन्तर को देखते हुये ऐसा प्रतीत होता है कि काफी संख्या में ऐसे व्यापारी हैं, जिनके द्वारा पंजीयन प्राप्त कर लिया गया है, किन्तु नियमित रूप से रिटर्न दाखिल नहीं किये जा रहे हैं। इन व्यापारियों में काफी संख्या में ऐसे संविदाकार हैं जिन्होंने किसी विभाग में टेंडर जमा किये जाने हेतु पंजीयन प्राप्त कर लिया गया था, किन्तु टेंडर न मिलने के कारण उनके द्वारा पंजीयन निरस्त नहीं कराया गया एवं रिटर्न भी दाखिल नहीं किए गए हैं, जिसके कारण अनावश्यक रूप से ये विभागीय रिकॉर्ड पर बने रहे हैं तथा उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर अधिनियम के प्राविधानों के अन्तर्गत नियमित रूप से इनका कर निर्धारण भी किया जाता है। उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर अधिनियम की धारा–15(1) के अनुसार "कोई ब्यौहारी या व्यक्ति जो कारोबार कर रहा है और इस अधिनियम के अधीन भुगतान का दायी है, ऐसे समय के भीतर और ऐसी रीति के अनुसार, जैसा कि विहित किया जाए, अपने आप को पंजीकृत कराएगा।"

दिनांक 02.01.2015 को माननीय मुख्यमंत्री जी की राजस्व समीक्षा बैठक में इस आशय की सहमति बनी थी कि ऐसे ठेकेदार, जिनके द्वारा सिर्फ टेंडर डालने हेतु पंजीयन प्राप्त किया जाता है, को पंजीयन दिये जाने का कोई औचित्य नहीं है। वास्तव में उन्हें जब तक ठेका मिल नहीं जाता है तब तक पंजीयन नहीं दिया जाना चाहिए।

अतः यह निर्देश दिये जाते हैं कि ठेकेदारों के मामले में जब यह पाया जाए कि उनके द्वारा सिर्फ टेंडर डालने हेतु पंजीयन लिया जा रहा है, पंजीयन जारी न किया जाए। किन्तु यदि किसी ठेकेदार को ठेका मिल गया है तो उसे समस्त औपचारिकताएं पूरी होने पर उसी कार्य दिवस में पंजीयन जारी कर दिया जाए।

(दिलीप जावलकर)
आयुक्त कर,
उत्तराखण्ड।

5355
पृ0प0सं0 /दिनांक उक्त।

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– सचिव, वित्त उत्तराखण्ड शासन देहरादून।
2– महालेखाकार, उत्तराखण्ड वैभव पैलेस, इन्द्रानगर, देहरादून।
3– सलाहकार कर, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
4– एडिशनल कमिश्नर, वाणिज्य कर गढ़वाल जोन देहरादून/ कुमाऊ जोन रूद्रपुर।
5– एडिशनल कमिश्नर (आडिट/प्रवर्तन) वाणिज्य कर मुख्यालय देहरादून।

parivad 11249
विधि
19/2/15